आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आगरा,जनपद :आगरा,तहसील :आगरा
वाद संख्या :-719/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201911801719
मुनेश कुमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश।

पारुल चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा प्रेसीडेन्स मुनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री पौकर मल शर्मा निवासी–18 मारुती विहार कॉलोनी बरौली अहीर तहसील व जिला आगरा ने मौजा गुतिला के खाता सं0 00179 के गाटा सं0 445ब रकबा 1.7030 हैक्टे0 में से आंशिक रकबा 1.2766 हैक्टे0 को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण की जॉच हेतु तहसीलदार सदर आगरा को अभिलेखीय परीक्षण एवं स्थलीय जॉच करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार सदर आगरा ने अपनी जॉच आख्या दिनांक 27.02.2019 प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया है कि मौजा गुतिला के खाता सं0 00179 के गाटा सं0 445ब रकबा 1.7030 हैक्टे0 में से आंशिक रकबा 1.2766 हैक्टे0 पर पारुल चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा प्रेसीडेन्स मुनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री पौकर मल शर्मा निवासी–18 मारुती विहार कॉलोनी बरौली अहीर तहसील व जिला आगरा का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सह खातेदार दर्ज है। सहखातेदार द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक उक्त भूमि को अकृषिक घोषित कराना चाहता है तो सहखातेदार को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी द्वारा मु0 1000/–रू0 का सीमांकन शुल्क चालान संख्या डी. 955752 दिनांक 09.04.2019 के द्वारा दाखिल किया है। आवेदक उक्त भूमि के मालिक काबिज दखील है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में विवादित होना संज्ञान में नही है और ना ही इस आशय का कोई आदेश खतौनी में दर्ज है। उक्त भूमि ग्रामसभा/सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कृषि कार्य नही हो रहा है। नकल खसरा संलग्न है। भूमि को नक्शे में पीली स्याही से दर्शाया गया है। भूमि किसी योजना में अधिगृहीत/प्रस्तावित नही है। भूमि आबादी/अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया है कि प्रश्नगत भूमि पर वह भविष्य में कृषि कार्य नही करेगा। राजस्व संहिता नियमावली के नियम 85(2) के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय आगरा द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार इस कृषि भूमि की दर 1,55,000,000/– रूपये प्रति हैक्टे0 है, जिसका 01 प्रतिशत मु0 197873/–रू0 व मु0 197873/–रू0 की कोर्ट फी स्टाम्प अदा किये जाने पर अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

आवेदक द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि [illegible] अन्तर्गत कृषि अकृषक या कृषि से अन्य भूमि घोषित [illegible] के प्रयोग में नही लायी जा रही है जिससे सार्वजनिक न्यूसेंस [illegible]

क्रमशः

Secretary
Parul Charitable Trust
Agra

Chairman
Parul College of Pharmacy
Agra

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आगरा,जनपद :आगरा,तहसील :आगरा
वाद संख्या :-719/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201911801719
मनेश कैमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

संभावना हो या सार्वजनिक सुविधा स्वास्थ्य, सेवा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना हो।

तहसीलदार सदर आगरा की आख्या दिनांक 27.02.2019 जिसके साथ संलग्नक नक्शा जिसे लेखपाल द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। साथ ही स्थल का नजरी नक्शा पीली रोशनाई से प्रदर्शित किया गया है। नकल खतौनी में आवेदक का नाम संक्रमणीय भूमिधर सह खातेदार के रूप में अंकित है। नकल खसरा व प्रार्थी का शपथपत्र संलग्न कर भेजा है। क्योकि तहसील आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कृषि कार्य नही हो रहा है। आवेदक द्वारा अपने शपथपत्र में यह स्वीकार किया है आवेदक ने जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार इस कृषि भूमि की दर 1,55,000,000/– रूपये प्रति हैक्टे0 है, जिसका 01 प्रतिशत मू0 197873/–रू0 है। प्रार्थी द्वारा मू0 197873/–रू0 चालान संख्या– डी.सी. 751 दिनाक 12.04.2019 से जमा किया है तथा महानिरीक्षक निबन्धक उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 2893/शि0का0लख0/2018/तद्दिनांक 30.08.2018 के अनुसार सर्किल रेट का 01 प्रतिशत न्याय शुल्क कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर मू0 197900/–रू0 न्यायालय में दाखिल कर दिये है। तहसीलदार सदर की आख्या के साथ संलग्न शपथपत्र आदि से संतुष्ट होते हुये उक्त प्रश्नगत भूमि मौजा गुतिला के खाता स0 00179 के गाटा स0 445ब रकवा 1.7030 हैक्टे0 मे से आंशिक रकवा 1.2766 हैक्टे0 को धारा -80 राजस्व संहिता 2006 अध्यादेश–15 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। प्रश्नगत भूमि के मध्य अन्य सार्वजनिक भूमि घोषित होने एव विकास से सम्बन्धित किसी सरकारी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80(1) के अन्तर्गत प्रख्यापन आदेश शून्य/निष्प्रभावी होगा। यह आदेश भूमि के अकृषक प्रयोग तद्घोषणा मात्र है। तहसीलदार सदर की आख्या आदेश का अंग होगी। तदनुसार प्रख्यापन जारी हो। आदेश की प्रति सब रजिस्ट्रार तहसील आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 17–05–2019

(अभिषेक कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी (सदर)
आगरा।

Chairman
Parul Charitable Trust
Secretary
Parul Charitable Trust
Agra